

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27.10.25

पत्रावली पेग हुई। वकीलवादी उपस्थित
वहस कुरैजात सुनी गई। पत्रावली का अकलोकन
किया गया। कुरैजात स्वीकार योग्य होने से
स्वीकार किए जाकर प्रकरण अंतिम दिक्की
किया जाता है। विस्तृत निर्णय प्रथम से
लिखा जाकर शामिल पत्रावली दिया गया
प्रकरण बाद तकमील दखिल कफतर
हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।

27/10/25

खण्ड अधिकारी
हादीद (वीसा)

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा।

मु.न. 317 / 2022

दायर दिनांक 14.11.2022

निर्णय दिनांक 27.10.2025

सनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर निवासी विजयपुरा
तहसील बसवा जिला दौसा। -वादी

बनाम

- 1 मूल्या पुत्र बन्शी
 - 2 जयराम पुत्र बन्शी
 - 3 अमरसिंह उर्फ उमराज
 - 4 उम्मेद सिंह
 - 5 कजोडमल
 - 6 गिर्राज प्रसाद
 - 7 कमोद पत्नि माधोलाल
 - 8 दीपक पुत्र माधोलाल
 - 9 निहाल सिंह पुत्र हीरालाल
 - 10 प्रेम पुत्री हीरालाल
 - 11 मूली पत्नि श्रीकिशन
 - 12 लक्ष्मन पुत्र श्रीकिशन
 - 13 सुमेरसिंह पुत्र हीरालाल
- पुत्रान रामकिशन
- समस्त जाति गुर्जर निवासी विजयपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान
- 14 बैंक आफ बडौदा शाखा गुढलिया जरिये प्रबन्ध
 - 15 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय बसवा।
 - 16 उपपंजीयक महोदय बांदीकुई जिला दौसा।

प्रतिवादीगण:-

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण जयें वकील श्री अनिल पोषवाल एडवोकेट द्वारा दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में पेश हुआ जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:- भूमि काश्त खाता संख्या नया 76 पुराना 74 आराजी खसरा नम्बर 284 रकबा 0.19 हैक्ट. खसरा नम्बर 285 रकबा 0.11 हैक्ट., खसरा नम्बर 286 रकबा 0.03 हैक्ट., खसरा नम्बर 287 रकबा 0.15 हैक्ट., खसरा नम्बर 288 रकबा 0.36 हैक्ट., खसरा नम्बर 289 रकबा 0.12 हैक्ट., खसरा नम्बर 295 रकबा 0.04 हैक्ट., खसरा नम्बर 296 रकबा 0.03 हैक्ट., खसरा नम्बर 297 रकबा 0.39 हैक्ट., खसरा नम्बर 298 रकबा 0.05 हैक्ट., खसरा नम्बर 299 रकबा 0.32 हैक्ट., खसरा नम्बर 300 रकबा 0.41 हैक्ट., खसरा

अथ



नम्बर 301 रकबा 0.01 हैक्ट., खसरा नम्बर 302 रकबा 0.01 हैक्ट., खसरा नम्बर 303 रकबा 0.50 हैक्ट., खसरा नम्बर 304 रकबा 0.30 हैक्ट., खसरा नम्बर 305 रकबा 0.21 हैक्ट., खसरा नम्बर 306 रकबा 0.30 हैक्ट., खसरा नम्बर 307 रकबा 0.13 हैक्ट., खसरा नम्बर 308 रकबा 0.21 हैक्ट., खसरा नम्बर 309 रकबा 0.23 हैक्ट., खसरा नम्बर 310 रकबा 0.23 हैक्ट., खसरा नम्बर 311 रकबा 0.21 हैक्ट., खसरा नम्बर 312 रकबा 0.14 हैक्ट., खसरा नम्बर 313 रकबा 0.13 हैक्ट., खसरा नम्बर 314 रकबा 0.11 हैक्ट., खसरा नम्बर 315 रकबा 0.06 हैक्ट., खसरा नम्बर 316 रकबा 0.35 हैक्ट., खसरा नम्बर 317 रकबा 0.13 हैक्ट., खसरा नम्बर 318 रकबा 0.40 हैक्ट., खसरा नम्बर 319 रकबा 0.46 हैक्ट., खसरा नम्बर 627 रकबा 0.19 हैक्ट., खसरा नम्बर 628 रकबा 0.18 हैक्ट., खसरा नम्बर 629 रकबा 0.21 हैक्ट., कुल खसरे 34 कुल रकबा 6.90 हैक्टेयर वार्षिक लगानी 214 रु. 14 पैसे चली आ रही है जिसमें वादी के पिता का 1/15 दर्ज रिकार्ड खातेदारी हिस्से अनुसार हिस्से अनुसार वादी का अलग से पर्चा खातेदारी कायम कराया जावे, रास्ते व कब्जे तथा रिहायाश को ध्यान में रखते हुये सरस नरस विभाजन किया जावे व उस अनुसार नक्शा ट्रेष से तरमीम कराई जावे व लगान का विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादीगण की गई बावजूद रजिस्टर्ड तलबी के प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई प्रकरण वादी साक्ष्य में नियत किया गया। प्रकरण में दिनांक 14.03.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्रकरण कुर्रेजात पर नियत किया गया। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उनके पत्रांक 9493 दिनांक 08.10.2025 के द्वारा न्यायालय में भिजवाये गये।

प्राप्त कुर्रेजात पर आपत्ति पेश नहीं हुई। प्रकरण बहस पर नियत किया गया। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा वाद को कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री करने का निवेदन किया गया। बहस कुर्रेजात पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, कुर्रेजात प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई के पत्र क्रमांक/ भू.अ./2025/9493 दिनांक 08.10.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्राप्त हुये। प्राप्त कुर्रेजात पर उभयपक्षकारान द्वारा कोई आपत्ती पेश नहीं हुई। वादी वकील द्वारा प्राप्त कुर्रेजात अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। हमने तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया। प्राप्त कुर्रेजात तहसीलदार बांदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुर्रेजात स्वीकार किये जाकर वादी वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुर्रेजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है-

प्रस्तावित कुर्रेजात				
क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.न.	रक बा	किस्म
1.	ओमप्रकाश, अमरसिंह उर्फ उमराव, उम्मेदसिंह, कजोडमल पिता रामकिशन हि. 4/5 हि. ब. बिना रहन, गिराज प्रसाद पुत्र रामकिशन हि. 1/5 राहिन बैंक ऑफ बडौन शाखा गुढलिया जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	285	0.11	चाही I 0.09 जाव II 0.02
		286/1	0.02	बंजड I
		288/1/0.07	0.07	बारानी A
		288/2	0.11	बारानी A

अक्षय


		289/1	0.07	बंजड I
		289/3	0.01	बंजड I
		295	0.04	बंजड I
		296	0.03	बंजड I
		297	0.39	चाही I
		298	0.05	चाही I
		303/4	0.08	बारानी A
		305	0.21	चाही I
		310	0.23	चाही I
		311/2	0.03	बारानी A
		313	0.13	बारानी A
		315/1	0.01	जाव I 0.01
		317/1	0.05	बारानी A
		319	0.46	चाही I
		629/1	0.20	बारानी A
		कुल किता 19	2.30 है.
2.	जयराम, मूला पिता बंशी हि. ब. राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुडलिया जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	284	0.19	चाहीI जाव I
		286/2	0.01	बंजड I
		288/3	0.10	बारानी A
		299	0.32	चाही I
		303/3	0.22	बारानी A
		306	0.30	चाही I
		307	0.13	बारानी A
		308	0.21	चाही I
		312	0.14	बारानी A
		317/2	0.08	बारानी A
		318	0.40	चाही I
		627	0.19	बारानी A
		कुल किता 12	2.29 है.
3.	कमोद पत्नी माधोलाल, दीपक पुत्र माधोलाल ना.बा. हि. 1/4 हि.ब. निहाल सिंह, सुमेर सिंह पि. हीरालाल हि. 1/6 हि.ब. प्रेम पुत्री हीरालाल हि 1/12 मु. मूली पत्नी श्रीकिशन हि 1/4 लछमन पुत्र श्री किशन हि 1/4 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	287	0.15	चाहीI जाव I
		288/4	0.08	बारानी A
		289/2	0.04	बंजड I
		300	0.41	चाही I
		302	0.01	बारानी A
		303/1	0.06	बारानी A
		303/2	0.02	बारानी A

अपे

		303/5	0.12	बारानी A
		304	0.30	चाही I
		309	0.23	चाही I
		311/1	0.18	बारानी A
		314	0.11	बारानी A
		315/2	0.05	चाही I 0.05
		316	0.35	चाही I
		628	0.18	बारानी A
		629/1	0.01	बारानी A
		कुल किता 16	2.30
4.	अमरसिंह उर्फ उमराव, उम्मेदसिंह, ओमप्रकाश, कजोडमल पि. रामकिशन हि. 4/15 हि.ब. बिना रहन, गिर्राज प्रसाद पुत्र रामकिशन हि. 1/15 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुडलिया, जयराम, मूला पि. बंशी हि. 1/3 हि. राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुडलिया, लछमन पुत्र श्रीकिशन हि. 1/12 नु. मूली पत्नी श्रीकिशन हि. 1/12, कमोद पत्नी माधोलाल हि. 1/24, दीपक पुत्र माधोलाल ना.बा.हि 1/24 सुमेरसिंह, निहाल सिंह पि. हीरालाल हि. 1/18, प्रेम पुत्री हीरालाल हि. 1/36 बिना रहन जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	301	0.01	गै. मु. चाह
		कुल किता 1	0.01

कुरैजात में खातेदार अमरसिंह उर्फ उमराव पुत्र रामकिशन एवं मूली पत्नि श्री किशन फौत होने का नोट अंकित है। उक्त फौत हुये खातेदारों के वारिसान की जांच कर उनके स्थान पर उनके वारिसान का नामांतरण दर्ज किया जावे। कुरैजात निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करे। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक: 27.10.2025 को लिखा व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।


(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई